

कार्यालय :जिला कार्यक्रम अधिकारी, शामली

पत्रांक: C-704/जि0का0अ0/आ0बा0स्था0/विज्ञप्ति/2025-26

दिनांक 13.02.2026

चयन-विज्ञप्ति

अन्तिम तिथि: 08 मार्च 2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-1/1092245/2025/3313/58-1-2025(1917687), दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद शामली के ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के मानदेय आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों पर वार्डवार/परियोजनावार विवरण निम्नवत् हैं :-

क्र० सं०	परियोजना का नाम	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों की संख्या	आरक्षण					योग
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	ई०डब्ल्यू० एस०	अनारक्षित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कैराना	14	6	0	5	0	3	14
2	कांधला	4	1	0	0	0	3	4
3	शामली	5	1	0	1	0	3	5
4	थानाभवन	7	1	0	2	0	4	7
5	ऊन	27	7	0	7	0	13	27
योग :-		57	16	0	15	0	26	57

उपरोक्त पदों का ग्रामवार/वार्डवार रिक्तियों एवं आरक्षण का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय बोर्ड पर चस्पा की गयी है, साथ ही वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड हैं। अत्यधिक जानकारी के लिए वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पोर्टल पर सम्पर्क करें।

विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन भरने हेतु विशेष निर्देश :-

- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने के पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध शासनादेश संख्या-1/1092245/2025/3313/58-1-2025(1917687), दिनांक 17 सितम्बर, 2025 एवं निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर ले, जिससे किसी प्रकार की त्रुटि जनित हानि से बचा जा सके।
- चयन की समस्त कार्यवाही बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार अनुभाग उ०प्र० के शासनादेश संख्या-1/1092245/2025/3313/58-1-2025(1917687), दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित प्रक्रिया के अधीन होगी।
- विज्ञप्ति पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे।

4. रिक्त पदों (आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री) की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष होगी तथा परास्नातक तक की परीक्षा के अंको को जोड़कर मैरिट लिस्ट तैयार की जायेगी।
5. आवेदिका को रिक्त पद के ग्राम सभा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा।
6. निवास व जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजीटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिसका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
7. आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3959/1-9-11-राज0-9, दिनांक 30.09.2011(यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो। इस सम्बन्ध में भविष्य में यदि राजस्व विभाग द्वारा कोई पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाता है तो नवीन शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। गरीबी रेखा से आय सीमा का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26-2-2015, दिनांक 14 सितम्बर, 2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में ₹0-46080.00 और शहरी क्षेत्र में ₹0 56,460.00 गरीबी रेखा हेतु निर्धारित वार्षिक आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा। आय प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वैध होना चाहिए।
8. विधवा आवेदिका हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।
9. तलाकशुदा/परित्यक्ता आवेदिका के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
10. आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ डेट 01 जनवरी, 2026 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी। आयु के सम्बन्ध में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए हाईस्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
11. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की नियुक्ति में चयन शासनादेशानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।
12. विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन केवल आंगनवाड़ी भर्ती पोर्टल <http://upanganwadibharti.in> पर निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
13. विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 16.02.2026 से अन्तिम तिथि 08.03.2026 मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी।
14. विज्ञापित पदों की संख्या घट-बढ़ सकती हैं, जो वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी।
15. उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना आंगनवाड़ी भर्ती पोर्टल <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास विभाग) कार्यालय से कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।
16. उपरोक्त पदों पर भर्ती शैक्षिक योग्यता के आधार पर तैयार की गयी मेरिट के आधार पर होगी। इसके लिए कोई लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

17. आंगनबाड़ी सहायिका के पद पूर्णतः अस्थायी एवं मानदेय पर आधारित है जिस पर उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सेवा नियमावली लागू नहीं होगी तथा शासन के निर्देशानुसार कभी भी समाप्त किये जा सकते हैं।
18. ऑनलाइन आवेदन में वेबसाइट पर भरी गयी सूचनाएं ही चयन के लिए प्रयोग की जायेगी। कोई भी कागजात ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

भवदीय

(यामिनी रंजन) 20/26
जिला कार्यक्रम अधिकारी
शामली

पृष्ठांकन तददिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, शामली।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, शामली।
4. समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद-शामली को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त की एक प्रति अपने कार्यालय बोर्ड पर चस्पा करने का कष्ट करें।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद शामली को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपरोक्त की एक प्रति अपने कार्यालय बोर्ड पर चस्पा करने का कष्ट करें।
6. जिला सूचना अधिकारी, शामली को इस आशय से कि जनपद शामली के उपरोक्त उल्लिखित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों की विज्ञप्ति एक स्थानीय एवं एक प्रदेश स्तर के दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अधिकारी शामली को इस अनुरोध के साथ कि कृपया रिक्तियों की सूचना एन0आई0सी0 शामली की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
8. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी जनपद-शामली को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त पद की एक प्रति अपने कार्यालय बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
9. कार्यालय प्रति।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
शामली